सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 15/17 **निर्णय दिनांकः– 18.07.2019**

1.	सुरजाराम	पुत्रगण अमोलक जाति बिश्नोई निवासी ग्राम
2.	कृष्ण	कांकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1.	राजबाला	पुत्रियॉ सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी हाल
3.	कलावती	चक 19 ए.एम. तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 13–01–2011
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 13–01–2011 जिसके द्वारा अपीलांट के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि यह अपील अब निष्फल हो चुकी है क्योंकि जिस जैर अपील आदेश के

विरुद्व की गयी है वह दिनांक 12–12–2016 तक प्रभावी था और इसके बाद इस आदेश की अवधि नहीं बढ़ाई गयी है। अतः अपील गुणावगुण पर निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कहा कि जैर अपील आदेश अब प्रभाव में नहीं रहा है, इसलिए इस अपील का गुणावगुण पर निर्धारण नहीं हो सकता, लेकिन इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2001(1) आर.आर.टी.01 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मूल न्यायालय को नये सिरे से निर्णय करने हेतु लौटा दिया जावे ।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 13–01–2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 12–12–2016 तक थी । अब उक्त जैर अपील आदेश प्रभाव में नहीं है क्योंकि उसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई गयी है। एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाना अप्रार्थी/खातेदारों के लिए पीढ़ाजनक है। इससे सह खातदारों के अधिकारों का हनन होता है। अपीलाधीन आदेश जारी हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा दोनों पक्षकार हाजिर है। परीक्षण न्यायालय को चाहिए कि वे यथाशीध्र प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करें। अतः प्रकरण उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर को प्रतिप्रेषित किया जाकर प्रकरण के एक माह में निर्णित किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते है। उक्त तिथि को निर्णय न होने की स्थिति में अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावे।

7. अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे ।

8. निर्णय आज दिनांक 18–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर